दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरूवार 07 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 40

महत्वपूर्ण एवं खास

दिल्ली पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा सीआरपीएफ के हवाले

नई दिल्ली (आरएनएस)। तीस हजारी कोर्ट से पनपा हुआ विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है। जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को सौंपी गई हैं। इस बात की जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई ने दी है। गौरतलब है कि तीस हजारी कोर्ट की पार्किंग से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दिल्ली पुलिस के जवान सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने देर शाम अपना प्रदर्शन उस वक्त समाप्त किया, जब विशेष पुलिस आयुक्त (अपराध) सतीश गोलचा ने तीस हजारी अदालत परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प की घटना के बाद प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों से काम पर लौटने की अपील की और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी।

न्यायालय ने सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों की स्टेटस मांगी

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और नौ राज्यों से केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) तथा राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्त पदों पर नियुक्तियों के बारे में अपने पहले के आदेश के अनुपालन में बुधवार को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस वक्त दिया जब आरटीआई कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज और अन्य ने कहा कि शीर्ष अदालत के पहले के आदेशों पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।इस मामले में याचिका दायर करने वाली भारद्वाज और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद केन्द्र और राज्य सरकारों ने चयनित और छांटे गये उम्मीदवारों के नाम अभी तक अपनी वेबसाइट पर जारी नहीं किये हैं।

डेरा मुखी की राजदार हनीप्रीत को मिली जमानत

पंचकूला (आरएनएस)। डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत के लिएराहतभरी खबर है। हनीप्रीत को 2017 में हुईपंचकूला हिंसा के मामलों में आज जमानत मिल गई। सीजेएम रोहित वत्स ने हनीप्रीत की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत मंजूर की। ऐसे में अब हनीप्रीत के जमानत पर जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। कुछ दिन पहले ही हनीप्रीत को देशद्रोह के आरोपों से मुक्त किया गया था। पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, उनमें हनीप्रीत, उसकी साथी सुखदीप कौर, राकेश कुमार अरोड़ा, सुरेंद्र धीमान इंसा, चमकौर सिंह, दान सिंह, गोविंद राम, प्रदीप गोयल इंसा और खैराती लाल पर कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए थे।

प्रधानमंत्री मोदी के क्षेत्र में भगवानों को प्रदूषण से बचाने के लिए पहनाए मास्क

वाराणसी (आरएनएस)। माना जा रहा है कि हवा में घुलते प्रदूषक तत्वों से इंसान ही नहीं, भगवान भी परेशानी में हैं, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। इसीलिए भक्तों ने भगवानों की प्रतिमाओं को मास्क पहना दिया है, ताकि उन्हें प्रदूषण के खतरे से बचाया जा सके। दीपावली के बाद दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के अधिकतर हिस्से में वायु प्रदूषण का कहर जारी है। इसकी चपेट में धर्म नगरी वाराणसी भी आ चुकी है। काशी के लोग प्रदूषित हवा से बचने के लिए इन दिनों मास्क पहने नजर आ रहे हैं। वाराणसी के सिगरा स्थित काशी विद्यापीठ विद्यालय के नजदीक स्थित भगवान शिव पर्वती के मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं को यहां के पुजारी और कुछ भक्तों ने मास्क पहना दिया है। वाराणसी आस्था की नगरी है। हम आस्थावान लोग भगवान के इंसानी रूप को महसूस करते हैं। गर्मी में भगवान की प्रतिमाओं को शीतलता प्रदान करने के लिए चंदन लेपन करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेगी जमीयत उलेमा-ए-हिंद

नई दिल्ली (आरएनएस)। अयोध्या विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कभी भी आ सकता है। हालांकि इससे पहले जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दावा किया है कि अयोध्या में किसी भी हिंदू मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का ढांचा नहीं खड़ा किया गया था। जमीयत उलेमा-ए-हिंद का यह भी कहना है कि उसका यह दावा एतिहासिक तथ्य पर आधारित है।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुधवार को कहा कि एतिहासिक तथ्यों के आधार पर मुस्लिम पक्ष यह दावा करता है कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण किसी हिंदू मंदिर को गिराए बिना किया गया था। हालांकि हम अपने रुख को दोहराते हैं कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, हम उसे स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने मुसलमानों और अन्य नागरिकों से कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की अपील भी की है। गौरतलब है कि अयोध्या मामले पर

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर पर एक बैठक हो चुकी है। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के नेता मौजूद थे। बैठक में भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन और फिल्म निर्माता मुजफ्फर अली भी पहुंचे थे।

नकवी के घर हुई थी बैठक

केंद्रीय मंत्री नकवी के घर हुई बैठक के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना सैयद कल्बे जावेद ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करेंगे।

वहीं अखिल भारतीय सूफी सज्जादनशीं परिषद अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती का कहना था कि बैठक के दौरान हर कोई इस बात पर एकमत था कि सभी धर्मों के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। हम सभी दरगाहों को दिशा-निर्देश देंगे कि वो लोगों से अपील करें कि अफवाहों और झूठी खबरों पर विश्वास न करें।

केंद्र सरकार ने अयोध्या भेजे चार हजार जवान

केंद्र सरकार ने कोर्ट का फैसला आने को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीते सोमवार को केंद्रीय शस्त्र पुलिस बल के करीब चार हजार जवानों को उत्तर प्रदेश भेजने का निर्णय किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस निर्णय के मुताबिक पुलिस बल 18 नवंबर तक राज्य में तैनात रहेगा। मंत्रालय ने तुरंत प्रभाव से पैरामिलिट्री फोर्स की पंद्रह कंपनियों को भेजने की भी मंजूरी दी है। मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि पैरा मिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों के अलावा बीएसएफ, आरएएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की तीन-तीन कंपनियां भेजी जाएंगी।

इस वजह से अंतिम फैसले को लेकर बढ़ी हलचल

अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द आने के पीछे कारण यह है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। न्यायाधीश गोगोई पहले ही कह चुके हैं कि वह सेवानिवृत्त होने से पहले इस मामले में अंतिम फैसला देना चाहते हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल के बस कुछ ही कार्यदिवस शेष रह गए हैं।

सरकारी नौकरी के कामकाजी समय को बढ़ाएगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब आठ के बजाय नौ घंटे तक काम करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार जल्द ही नियम बदलने जा रही है। केंद्र सरकार ने वेज कोड रूल का मसौदा भी तैयार कर लिया है।

इसमें सरकारी कर्मचारियों के काम करने के समय को एक घंटा बढ़ाने की सिफारिश की गई है। बता दें कि वर्तमान समय में आठ घंटे की कार्यावधि के नियम के तहत 26 दिन काम के बाद वेतन तय होता है। हालांकि इस मसौदे में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतनमान की घोषणा शामिल नहीं है। मसौदे में कहा गया है कि भविष्य में एक विशेषज्ञ समिति न्यूनतम वेतनमान को लेकर अलग से सरकार से सिफारिश करेगी। श्रम मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से इस मसौदे पर एक महीने में सुझाव भी मांगे हैं। दिसंबर में नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा। मजदूरी तय करने के

लिए पूरे देश को तीन भौगोलिक वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, 40 लाख से ज्यादा की आबादी वाले मेट्रोपॉलिटन शहर। दूसरा, 10 से 40 लाख की आबादी वाले नॉन-मेट्रोपॉलिटन शहर और तीसरा ग्रामीण इलाके। सूत्रों के अनुसार श्रम मंत्रालय के एक आंतरिक पैनल ने जनवरी में अपनी रिपोर्ट में कहा था किश्भारत के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन का एकल मूल्य जुलाई 2018 तक 375 रुपये प्रति दिन निर्धारित किया जाना चाहिए। 9,750 रुपये के न्यूनतम मासिक वेतन के अलावा, सात-सदस्यीय पैनल ने यह भी सुझाव दिया था कि शहर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 1,430 रुपये का आवास भत्ता प्रदान भी होना चाहिए।

हिंसा करने वाले वकीलों पर हो सकती है कार्रवाई, हाईकोर्ट में सुनवाई आज

» तीस हजारी विवाद

नई दिल्ली (आरएनएस)। तीस हजारी कोर्ट में कार खड़ी करने को लेकर पुलिस और वकीलों में हुई झड़प के मामले में वकीलों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। टकराव के चलते अब केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट का रुख किया है। गृह मंत्रालय ने कोर्ट से 3 नवंबर को जारी किए गए उसके आदेश पर सफाई मांगी है। मंत्रालय ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वकीलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से जुड़े संबंधित आदेश उसके बाद की घटनाओं पर लागू नहीं होना चाहिए। वकीलों और पुलिस के बीच हुए शनिवार को तीस

हजारी कोर्ट में संघर्ष के बाद हाई कोर्ट ने वकीलों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने से जुड़ा आदेश पारित किया था।चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने केंद्र की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) समेत सभी जिला बार असोसिएशंस को नोटिस जारी किया है।दिल्ली सरकार को भी बुधवार तक इस मुद्दे पर अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखने का निर्देश दिया गया है।

24 दिन का भ्रमण करके दशनामी छड़ी यात्रा वापस पहुंची हरिद्वार

हरिद्वार (आरएनएस)। उत्तराखंड में हरिद्वारा के जूना अखाड़ा मायादेवी मन्दिर से वर्षों बाद फिर से शुरू हुई दशनामी छड़ी यात्रा करीब 24 दिन का भ्रमण कर राज्य के चारों धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री और सभी 13 जिलों से होकर बुधवार को यहां पहुंची। जूना अखाड़े के अध्यक्ष स्वामी प्रेमगिरि महाराज के नेतृत्व में जब दशनामी छड़ी यात्रा पूरी कर हरिद्वार पहुंची तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री और हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी एवं हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस. ने छड़ी को माला एवं शाल उड़ाकर भव्य स्वागत किया।

नियम तोड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा

» प्रदूषण पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भी सख्त रुख अख्तियार किया। शीर्ष अदालत ने पराली मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की विशेष पीठ प्रदूषण पर लंबित अन्य मामलों की सुनवाई की। इस

मौके पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कोई भी नियम व निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अपनी ड्यूटी नहीं निभाने पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पंजाब सरकार से कहा कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करने में बुरी तरह से फेल हुए हैं।श् जस्टिस मिश्रा ने आदेश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अब कोई पराली न जले। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि हर किसी को पता है कि इस साल भी पराली जलाई जा रही है। आखिर सरकार ने इस संबंध में पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई और क्यों मशीनें पहले मुहैया नहीं कराई गई? उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पूरे साल में कोई भी कदम नहीं उठाया गया।

उपराष्ट्रपति ने 'मृदंगम की संगीतमय उत्कृष्टता' पर एक मोनोग्राफ का किया विमोचन

नई दिल्ली (आरएनएस)। चेन्नई में एक समारोह में मृदंगम के संगीतमय उत्कृष्टता पर एक मोनोग्राफ का विमोचन करते हुए, उपराष्ट्रपति ने इसे एक ऐतिहासिक प्रयास बताया, जिसमें आधुनिक विज्ञान के उपकरणों को एक प्राचीन उपकरण - मृदंगम के स्थान पर लाया गया था।

लेखकों - प्रख्यात मृदंगम कलाकार, डॉ.उमय्यापालम के शिवरामन, वैज्ञानिक डॉ टी रामासामी और डॉ एमडी नरेश की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि मोनोग्राफ ने वैज्ञानिक रूप से साबित किया कि हमारे पूर्वज मानवीय प्रतिभा के माध्यम से संगीत उत्कृष्टता की रूपरेखा तैयार करने, विकसित करने और प्रदर्शित करने में सक्षम थे। ।

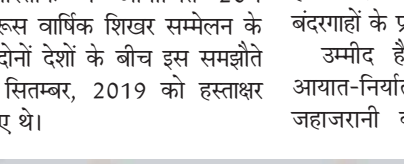

नायडू ने कहा कि यह पुस्तक तीन उद्देश्यों को पूरा करती है - पहला, यह संगीत और विज्ञान के बीच तालमेल के लिए एक मजबूत स्थिति बनाता है। दूसरा, यह मृदंगम पर भविष्य के अनुसंधान के नए अवसरों को खोलता है और तीसरा, यह वैश्विक संगीत समुदाय के लिए दक्षिण भारतीय संगीत का एक आउटरीच है।

यह बताते हुए कि लेखकों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान प्राचीन भारतीय संगीत कलाकारों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने वाले विज्ञान का पहला उदाहरण हो सकता है, उन्होंने इस तरह के और अधिक सहयोगों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगीत और विज्ञान के संगम का सकारात्मक प्रभाव होगा। साथ ही, उन्होंने युवा पीढ़ी को महान भारतीय कला रूपों, संगीत और शिल्प से अवगत कराने की आवश्यकता पर बल दिया।

थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति करेगी चर्चा

» व्हाट्सएप जासूसी मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता वाली एक स्थायी संसदीय समिति 20 नवंबर को अपनी बैठक में व्हाट्सएप जासूसी मामले पर चर्चा करेगी। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि कांग्रेस नेताओं की अध्यक्षता वाले दो संसदीय पैनलों ने व्हाट्सएप जासूसी मामले की जांच करने का निर्णय लिया है और वह गृह सचिव सहित सरकार के शीर्ष अधिकारियों से जानकारी मांगेंगे। शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं।

सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत, मेडिकल बोर्ड करेगा स्वास्थ्य की जांच

» सिख विरोधी दंगा मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। 1984 सिख विरोधी हिंसा के मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को राहत नहीं मिली और फिलहाल कुमार को जेल में ही रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए एम्स को मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा है।

दिल्ली की मंडोली जेल में बंद सज्जन कुमार की मेडिकल जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के निदेशक को डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा. साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि 4 हफ्ते में बोर्ड रिपोर्ट दाखिल करे। सज्जन ने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर जमानत मांगी थी। सिख विरोधी दंगों के मामले में कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में दोषी करार दे दिया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और जमानत याचिका दायर की थी, जो अभी तक लंबित है।

राजनाथ ने भारत के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने रूसी रक्षा उद्योग से किया आग्रह

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा उद्योग से भारत के साथ मिलकर रक्षा उत्पादन करने के लिए आग्रह किया। इस कदम से तीसरे देशों को भारत द्वारा किये जाने वाले निर्यात में भारी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्री मॉस्को में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री डेनिस मानतूरोव के साथ 'भारत-रूस रक्षा उद्योग सहयोग सम्मेलन' का उद्घाटन करने के बाद रूसी रक्षा उद्योग के मुख्यकार्यकारी अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सरकार 'मेक इन इंडिया' के तहत भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी करने के लिए मूल रक्षा उपकरण निर्माताओं को प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में व्यापार सुगमता में सुधार आया है और रक्षा उत्पादन क्षेत्र को

विदेशी सहयोगियों के लिए खोल दिया गया है।

राजनाथ सिंह ने रूसी या सोवियत मूल के हथियारों तथा रक्षा उपकरण संबंधी अन्य सामग्री के पुर्जों और घटकों के संयुक्त निर्माण के लिए अंतर-सरकारी समझौते का उल्लेख किया। याद रहे कि व्लादीवोस्तोक में आयोजित 20वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच इस समझौते पर 4 सितम्बर, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।

मंडाविया विशाखापत्तनम में पहले 'बिमस्टेक बंदरगाह' सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, में कल पहले 'बिम्सटेक बंदरगाह' सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन 7-8 नवम्बर को आयोजित किया जा रहा है।

बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (बिम्सटेक) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश, भारत, बांग्लादेश, म्यामांर, लंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल शामिल हैं। सम्मेलन में इन देशों के क्षेत्रीय बंदरगाहों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

उम्मीद है कि सम्मेलन में आयात-निर्यात तथा तटीय जहाजरानी को प्रोत्साहित कर

आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। सम्मेलन में विभिन्न निवेश के अवसरों और बंदरगाहों पर उत्पादकता और सुरक्षा के लिए अपनाए गए बेहतरीन तौर-तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। सभी सात सदस्य देशों के बंदरगाह क्षेत्र के साथ-साथ व्यापार और विभिन्न जहाजरानी संघों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेंगे।

सम्मेलन के दौरान पांच सत्र होंगे। पहला सत्र बंदरगाहों पर आधारित औद्योगिक और पर्यटन विकास पर होगा। इस सत्र का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने और बंदरगाहों के करीब औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने पर चर्चा करना है। बिम्सटेक राष्ट्रों की विविध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत इसे पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है, जिसमें जहाजों के जरिये पर्यटन को बढ़ावा देने में बंदरगाहों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

आपूर्ति श्रृंखलाओं की राष्ट्रीय सीमाओं से परे विस्तार की जरूरत होने लगी हैं इसके बड़ते दायरे की वजह से माल ढुलाई की गतिविधियों में भी वृद्धि हुई है, जिससे बंदरगाहों के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर काफी दबाव बनने लगा है। ऐसे में उपलब्ध स्थान, संसाधनों, समय और ऊर्जा का दक्षता के साथ इस्तेमाल और उत्पादकता बढ़ाने के लिए को अधिकतम करने के लिए नए तकनीकी समाधानों को अपनाना समय की आवश्यकता है। दूसरा पैनल सत्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बंदरगाहों की बढ़ती भूमिका पर होगा। इस सत्र का उद्देश्य विस्तार आपूर्ति श्रृंखलाओं की पृष्ठभूमि और उपलब्ध समाधानों की पृष्ठभूमि में बंदरगाहों और टर्मिनलों की उभरती भूमिका पर चर्चा करना है।